

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1948 / 2024

दिनांक ३०.०५.२०२४

श्रीमती सुषमा शर्मा (RJ00725), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), भीलवाडा को दिनांक 05.06.2024 से 07.06.2024 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 08.06.2024 से 09.06.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाडा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), भीलवाडा के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,



राजस्ट्रार (विधिकरण)

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/08/2013/ 4363

दिनांक ३०.०५.२०२४

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाडा को उनके पत्रांक 2988 दिनांक 22.05.2024 के सन्दर्भ में।
- श्रीमती सुषमा शर्मा (RJ00725), अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), भीलवाडा।
- अति. सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण), भीलवाडा।
- विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, भीलवाडा।


सहायक राजस्ट्रार